शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्रदत्त महाविद्यालय)

स्वशासी योजना के अंतर्गत

वित्त व्यवस्था

7 जून, 2022 से प्रभावशील

अनुक्रम

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्राचार्य-प्रमुख दायित्व निर्वाहक	01
2.	परीक्षा योजना एवं परीक्षा प्रकोष्ठ	02
3.	परीक्षा प्रकोष्ठ कार्य हेतु मानदेय	02
4.	स्वशासी प्रकोष्ठ-रजिस्ट्रार, मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं अन्य कर्मचारी	03-04
5.	केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा समन्वयक, सहायक केन्द्राध्यक्ष, वीक्षक एवं सहायक परीक्षा समन्वयक	05
6.	परीक्षकों को पारिश्रमिक एवं अन्य खर्च	06-07
7.	परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक	08
8.	अनुचित साधन प्रकरण/ ग्रीवेंस समिति मानदेय	08
9.	यात्रा एवं दैनिक भत्ता अथवा वाहन भत्ता	09-10
10.	वित्त उपलब्धता एवं शुल्क विवरण	11-12
11.	सर्टिफिकेट कोर्स	13–16
12.	महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों हेतु राशि का आबंटन	17
13.	छात्र समर्थन एवं प्रोत्साहन	18
14.	अन्य शुल्क	19
15.	आय-व्यय विवरण	20-21
16.	स्वशासी प्रकोष्ठ के FDR की जानकारी	22

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय

दुर्ग (छ.ग.)

(1) प्राचार्य– प्रमुख दायित्व निर्वाहक

प्राचार्य के दायित्व क्षेत्र में परीक्षा पूर्व तैयारी,परीक्षा संबंधी समस्त कार्य, केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा समन्वयक, सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति,परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन एवं कार्य विभाजन में सहायता,परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति एवं जवाबदेही, मूल्यांकन व्यवस्था का निरीक्षण, परीक्षा परिणाम घोषणा, अनुचित साधन प्रकरण निर्धारण प्रक्रिया का संचालन, विभिन्न मुद्दों पर प्रतिवेदन एवं अपील सुनवाई का प्रावधान एवं निर्णय, विभिन्न समस्याओं का निराकरण, विभिन्न समितियों का गठन एवं बैठक आयोजित करना, यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रबंध, परीक्षा निधि का नियमन, परीक्षा संबंधी पारिश्रमिकों के भुगतान की व्यवस्था, प्रकोष्ठ द्वारा किये गये क्रय का निरीक्षण, परीक्षा निधि का आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षण, परीक्षा से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में पक्ष प्रस्तुतीकरण आदि रहेंगे।

(2) परीक्षा योजना एवं परीक्षा प्रकोष्ठ

- महाविद्यालय के स्वशासी तंत्र के अंतर्गत, प्राचार्य द्वारा स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ हेतु नियंत्रक नियुक्त किया जाएगा।
- नियंत्रक, प्राचार्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। वह प्राचार्य के मार्गदर्शन में प्राचार्य की ओर से समस्त सामान्य एवं गोपनीय पत्र व्यवहार करेगा। संपूर्ण स्वशासी तंत्र के समन्वित संचालन का उत्तरदायित्व भी नियंत्रक का रहेगा।
- प्राचार्य द्वारा एक उपनियंत्रक की नियुक्ति भी की जा सकती है। आवश्यकतानुसार उपनियंत्रक का चयन प्रकोष्ठ के पूर्णकालिक सदस्यों में से अथवा महाविद्यालय के अनुभव प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापक में से ही किया जा सकेगा।
- प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। प्राचार्य, नियंत्रक की सहायता के लिए आवश्यकता अथवा कार्य की प्रकृति के अनुसार अधिकतम पाँच प्राध्यापकों को प्रकोष्ठ के पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे। महाविद्यालय के परीक्षा प्रकोष्ठ का संपूर्ण कार्य, नियंत्रक एवं पूर्णकालिक सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा। नियंत्रक एवं पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति दिनांक से आगामी आदेश तक कार्य करते रहेंगे। उन्हें अपने प्रतिदिन के कर्त्तव्य /अध्यापन/अन्य कार्य के साथ परीक्षा प्रकोष्ठ में औसत रूप में तीन घंटे कार्य करना चाहिए।
- परीक्षा की विश्वसनीयता एवं प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रश्नपत्रों को आवश्यकतानुसार परीक्षा प्रकोष्ठ या बाहर मुद्रित कराया जावेगा।

(3) परीक्षा प्रकोष्ठ कार्य हेतु मानदेय

प्राचार्य	–	4000/– प्रतिमाह
नियंत्रक	–	3500/– प्रतिमाह
सदस्य	–	3000/– प्रतिमाह

उपयुक्त मानदेय का आकलन, शैक्षणिक सत्र की वार्षिक और पूरक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुये प्रतिवर्ष जुलाई माह से अगले वर्ष जून माह तक होगा।

प्राचार्य द्वारा परीक्षा कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकतानुसार स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्य करने के लिए महाविद्यालय के अधिकतम दो प्राध्यापकों को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जिनके कार्य की अवधि कम से कम 1 माह एवं अधिकतम तीन माह हो सकती है। यह अवधि सतत् अथवा संपूर्ण सत्र में खंडों में विभाजित हो सकती है। इन सदस्यों के कार्य दायित्व का निर्धारण नियंत्रक द्वारा किया जाएगा। इन प्राध्यापकों को 2500/– रु. प्रतिमाह की दर से मानदेय देय होगा।

उपयुक्त उल्लेखित व्यक्तियों के स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारण से उत्पन्न रिक्तता की स्थिति में, संबंधित माह की राशि का अनुपातिक भुगतान होगा।

स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों को अतिरिक्त मानदेय-

1. प्राचार्य एवं नियंत्रक रु. 2/- प्रति छात्र (टेबुलेशन,नोटिफिकेशन एवं अंकसूची में हस्ताक्षर)
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु रु. 2/- प्रति अंक सूची। (विश्वविद्यालय को)
3. परीक्षा संबंधी गोपनीय कार्य, प्रश्न पत्रों की जांच /प्रूफ रीडिंग इत्यादि प्रति पेपर 200/- रूपये
4. परीक्षा परिणाम की जाँच/सूक्ष्म जाँच /टेबुलेशन /अधिसूचना जारी करना इत्यादि रु. 3/- प्रति छात्र

टीप :- उपर्युक्त बिंदु 3 एवं 4 का अतिरिक्त मानदेय केवल पूर्णकालिक अधिकारियों को समान रूप से देय होगा एवं इसका भुगतान प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के उपरांत किया जाएगा।

(4) स्वशासी प्रकोष्ठ-रजिस्ट्रार, मुख्यलिपिक, लेखापाल एवं अन्य कर्मचारी

- स्वशासी प्रकोष्ठ प्रणाली तंत्र में महाविद्यालय कार्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले रजिस्ट्रार/ मुख्य लिपिक/ लेखापाल एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य स्पष्ट करना आवश्यक है।
- महाविद्यालय में स्वशासी प्रणाली लागू होने से लेखा एवं वित्त से संबंधित कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार है क्योंकि उन्हें परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित वित्त प्रावधान, मानदेय भुगतान, विशेष शुल्क आदि से संबंधित विभिन्न रजिस्टर/लेजर का संधारण करना होता है। इसके साथ विद्यार्थी विभाग में भी अतिरिक्त कार्यभार है जिसके अंतर्गत शुल्क संग्रहण शामिल है।
- स्वशासी प्रकोष्ठ में कार्यरत नियमित तृतीय वर्ग कर्मचारी को रु. 2100/- एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को रु. 2000/- प्रति माह अतिरिक्त गोपनीय मानदेय देय होगा।
- एक टायपिस्ट (डाटा एंट्री आपरेटर) को प्रतिमाह 2650/– रु. गोपनीय भत्ता देय होगा।
- दैनिक मजदूरी पर कार्यरत सभी कुशल, अकुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों को कलेक्टर दर पर मजदूरी देय होगी।
- आनलाईन परीक्षा होने पर असाईमेंट / उत्तरपुस्तिका संग्रहण करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को 120/– प्रति पाली की दर से मानदेय देय होगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी प्राध्यापकों की नियुक्ति यदि स्वशासी प्रकोष्ठ में की जाती है तो उनका सिटिंग के अनुसार मानदेय प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जिसका अनुमोदन वित्त समिति एवं शासी निकाय से कराया जावेगा।
- Digilocker में रजिस्ट्रेशन, शिकायत निवारण हेतु श्री दिलीप कुमार साहू को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। Digilocker योजना के संदर्भ में कोई व्यय होने पर प्राचार्य एवं वित्त समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

नोट : आवश्यकता होने पर एक/दो मजदूरों को कम से कम एक माह और अधिकतम तीन माह के लिए रखा जावेगा, जिसकी मजूदरी कलेक्टर दर पर प्रतिमाह देय होगी।

- महाविद्यालय कार्यालय द्वारा नियमित प्रवेश प्राप्त करने वाले आवेदकों और विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जाँच की जाती है जिसके आधार पर परीक्षा प्रकोष्ठ को जानकारी एवं आंकड़े प्रेषित किये जाते है।

विभिन्न प्रपत्रों की जाँच और अभिप्रमाणीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है :-

- ❖ विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन पत्र, पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन आदि से संबंधित प्रपत्रों का वितरण करना, भरे हुए प्रपत्र स्वीकार करना एवं विविध प्रपत्रों से संबंधित शुल्क संग्रहण करना।
- ❖ परीक्षा प्रवेश पत्र, अंकसूची, पाठ्यक्रम विवरण आदि का वितरण, विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांकों की जानकारी देना।
- ❖ लेखा संबंधी विभिन्न प्रविष्टियाँ करना, आय और खर्च के विभिन्न शीर्षकों के तहत हिसाब बनाना एवं आवश्यकतानुसार आंकड़े उपलब्ध कराना।

- महाविद्यालय के नियमित कर्मचारियों से ही लेखा प्रविष्टि, अग्रिम राशि का आहरण, वितरण, विविध सामग्री क्रय, तत्संबंधी समस्त रिकार्ड एवं आय-व्यय विवरण तैयार कराया जायेगा ताकि वे कर्मचारी आडिट के समय जानकारी एवं रिकार्ड उपलब्ध करायें। आवश्यक होने पर महाविद्यालय इस संबंध में सेवानिवृत कर्मचारी / अधिकारी अथवा किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट की सेवायें सीमित अवधि के लिए ले सकते है। ऐसे कार्य का पारिश्रमिक भुगतान परीक्षा निधि से किया जाएगा।
- **महाविद्यालय द्वारा संचालित वार्षिक, पूरक, जाँच और मध्यसत्र परीक्षा के लिए बैठक व्यवस्था, पानी पिलाने वाले और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का दायित्व रजिस्ट्रार /मुख्यलिपिक का रहेगा।**
- **परीक्षा कर्मचारियों के देयकों का भुगतान और पानी पिलाने वाले तथा सफाई कर्मियों का सामूहिक भुगतान मुख्य लिपिक द्वारा किया जायेगा।**

स्वशासी प्रणाली से जुड़े हुए विभिन्न कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए किए गए प्रावधान में रजिस्ट्रार/मुख्यलिपिक/लेखापाल एवं अन्य कर्मचारियों के लिए मासिक मानदेय को स्वीकार किया गया है।

1.	रजिस्ट्रार	1000/- रु. प्रतिमाह
1.	मुख्यलिपिक	900/- रु. प्रतिमाह
2.	लेखापाल	800/- रु. प्रतिमाह
3.	केशियर	800/- रु. प्रतिमाह
4.	विद्यार्थी लिपिक	300/- रु. प्रतिमाह
5.	शुल्क लिपिक	300/- रु. प्रतिमाह

- **कार्यालयीन तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को परीक्षा पूर्व एवं उपरांत कार्य हेतु पारिश्रमिक।**

परीक्षा आवेदन पत्रों का कक्षावार संग्रहण एवं वर्गीकरण, प्रवेश पत्रों का वितरण, अंकसूची का वितरण, परीक्षा की बैठक व्यवस्था आदि कार्य में संलग्न तृतीय श्रेणी कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोसेसिंग शुल्क की राशि में से पृष्ठ क्रमांक 11 में दिये गये विवरण के अनुसार देय होगा।

स्वशासी निधि से भुगतान किए जाने वाले किसी भी बिल को स्वशासी प्रकोष्ठ के नियंत्रक के प्रति हस्ताक्षर के पश्चात् ही भुगतान के लिए कार्यालय में प्रेषित किया जाए तथा उनके विवरण संबंधी दस्तावेजों (प्रतिलिपि) का संधारण स्वशासी प्रकोष्ठ द्वारा भी किया जाए।

इस संबंध में किये गये भुगतानों का वार्षिक विवरण लेखा शाखा द्वारा स्वशासी प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाए।

(5) परीक्षा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों का अतिरिक्त मानदेय

महाविद्यालय कार्यालय के कर्मचारियों के समान स्वशासी प्रकोष्ठ/परीक्षा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों पर भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में परीक्षा संबंधी कार्य के साथ-साथ महाविद्यालयीन कार्यालय के अनेक कार्य तथा फोटोकापी का कार्य करने का दायित्व प्रतिदिन रहता है।

- परीक्षा आवेदन पत्रों की जाँच, विषय समूह के अनुसार आवेदन पत्र जमाना, फोटोकापी द्वारा निर्धारित संख्या में प्रश्न पत्रों को मुद्रित करने, स्टेप्लिंग, बंडलिंग, पैकिंग, सीलिंग, स्टोरेज एवं प्रेषण।

1. परीक्षा की तैयारी एवं गोपनीय सामग्री के वितरण एवं संकलन तक प्रतिदिन स्वशासी प्रकोष्ठ के सभी कर्मचारियों द्वारा सुबह और शाम दो-दो घण्टे अतिरिक्त कार्य करने के लिए नियमित कर्मचारियों को सत्र 2022-23 से रु. 120 प्रतिदिन एवं कलेक्टर दर पर नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को रु. 100 प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक देय होगा।
2. पर्यावरण अध्ययन (Project File) का संग्रहण एवं कक्षावार जमाना, रजिस्टर में अंकित कर परीक्षकों को प्रदान करना, अतः मुल्यांकन पश्चात् संग्रहण करना इस कार्य हेतु रु. 5/- प्रति कापी प्रकोष्ठ के संलग्न कर्मचारी में समान रूप से वितरण किया जाएगा।

(6) केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा समन्वयक, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं वीक्षक

प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार, केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा समन्वयक, सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। महाविद्यालय द्वारा स्वशासी योजना के अंतर्गत संचालित होने वाली परीक्षाओं के लिये नियुक्त केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, परीक्षा समन्वयक, (नियंत्रक/स्वशासी प्रकोष्ठ का अधिकारी) एवं वीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित दर से प्रति पाली किया जाएगा।

1.	वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष (प्रति परीक्षा दिवस)	रु. 300/- (अधिकतम 500 प्रति दिवस)
2.	केन्द्राध्यक्ष (प्रति पाली)	रु. 200/-
3.	सहायक केन्द्राध्यक्ष को (प्रति पाली)	रु. 150/-
4.	वीक्षक (प्रति पाली)	रु. 120/-
5.	परीक्षा नियंत्रक (प्रति पाली)	रु. 200/- (अधिकतम 400)
6.	उप नियंत्रक (प्रति पाली)	रु. 150/- (अधिकतम 300)
7.	परीक्षा ड्यूटी समन्वयक	रु. 200/- (प्रति दिवस)

विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन परीक्षा के एक साथ चलने की स्थिति में केन्द्राध्यक्ष/ सहायक केन्द्राध्यक्ष केवल एक परीक्षा से संबंधित पारिश्रमिक को प्राप्त करने के अधिकार होगा।

- केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष एक दिन में केवल एक पाली में कार्य करेंगे।
- परीक्षा समन्वयक (नियंत्रक) को एक दिन के समस्त पालियों में स्वशासी प्रकोष्ठ से एक घंटा पूर्व प्रश्नपत्र का वितरण एवं परीक्षा समाप्ति पश्चात् उत्तरपुस्तिका का संग्रहण तथा मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को भेजने का कार्य करना है।
- प्रति 20 परीक्षार्थियों के लिये एक वीक्षक रहेगा।
- परीक्षा के दौरान आकस्मिक निरीक्षण का कार्य करने वाले दल में प्राचार्य, परीक्षा नियंत्रक, केन्द्राध्यक्ष, एक सहायक केन्द्राध्यक्ष तथा उस दिन वीक्षण कार्य में लगाये गये अतिरिक्त वीक्षक सम्मिलित रहेंगे। इस दल में एक महिला सदस्य भी शामिल रहेगी। आकस्मिक निरीक्षण दल के किसी भी सदस्य को अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।
- केन्द्राध्यक्ष अपने केन्द्र के अंतर्गत वीक्षण कार्य दायित्व निर्वाह करने वाले वीक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करेंगे।
- प्रत्येक केन्द्राध्यक्ष अपनी पाली के सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित करेंगे।
- प्रत्येक केन्द्राध्यक्ष अपनी शिफ्ट वार उपस्थिति का स्वयं प्रमाणीकरण करेंगे।
- परीक्षा समन्वयक (नियंत्रक) किसी दिन एक या दो शिफ्ट में अपना कार्य करते हैं तद्नुसार वे अपनी उपस्थिति का प्रमाणीकरण स्वतः करेंगे।
- किसी परीक्षा हेतु नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं समस्त सहायक केन्द्राध्यक्ष और कर्मचारियों की सामूहिक जिम्मेदारी उक्त परीक्षा को नियमानुसार संचालित करने की रहेगी। उनके कर्त्तव्य निर्वाह के अंतर्गत परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बैठक व्यवस्था, वीक्षक उपलब्धता, वीक्षक के कार्य का निर्धारण, मुख्य एवं पूरक उत्तरपुस्तिकाओं को तैयार करवाना, उनका हिसाब रखना, परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र से संबंधित उत्तरपुस्तिकायें परीक्षा प्रकोष्ठ में जमा करना, अनुचित साधन प्रकरण नियमानुसार दर्ज करवाकर प्रेषित करना, निरीक्षण दल हेतु अपना सहयोग देना, परीक्षा समाप्ति उपरांत समस्त वीक्षक, कार्यालय एवं अन्य सहायकों के तथा अपने पारिश्रमिक देयकों को अभिप्रमाणित कर प्राचार्य को प्रेषित करना एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत खाली उत्तर पुस्तिकायें अन्य प्रपत्र एवं समस्त अन्य सामाग्री परीक्षा प्रकोष्ठ में जमा करना सम्मिलित है।

(7) परीक्षकों को पारिश्रमिक

मुख्य परीक्षाओं में सभी पारिश्रमिक दरें दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग की दरों के अनुरूप होगी अथवा उनसे अधिक होगी।

(1) स्नातक स्तर

1.	प्रश्नपत्र को तैयार करना (प्रति प्रश्नपत्र)	-	900/-
2.	यदि प्रश्नपत्र में अनुवाद आवश्यक है तब अनुवाद का पारिश्रमिक	-	200/-
3.	सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (प्रति उ.पु.)	-	15/-
4.	सैद्धांतिक परीक्षा, उ.पु. मूल्यांकन का न्यूनतम पारिश्रमिक (प्रश्नपत्र नही तैयार करने की स्थिति में)	-	200/-
5.	पर्यावरण प्रोजेक्ट का मूल्यांकन(प्रति प्रोजेक्ट)	-	10/-
6.	प्रायोगिक परीक्षा (न्यूनतम पारिश्रमिक की स्थिति को छोड़कर) प्रति उ.पु.मुल्यांकन	-	15/-
7.	प्रायोगिक परीक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक)	-	500/-
8.	अनुचित साधन प्रकरण (प्रति प्रकरण)	-	100/-

(2) स्नातकोत्तर स्तर/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा

1.	प्रश्न पत्र को तैयार करना	-	1500/-
2.	यदि प्रश्नपत्र में अनुवाद आवश्यक है तब अनुवाद का परिश्रमिक	-	200/-
3.	सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (प्रति उ.पु.)	-	25/-
4.	सैद्धांतिक परीक्षा,उ.पु. मूल्यांकन का न्यूनतम पारिश्रमिक	-	300/-
5.	प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन प्रति उ.पु. (न्यूनतम पारिश्रमिक की स्थिति छोड़कर)	-	20/-
6.	प्रायोगिक परीक्षा,न्यूनतम पारिश्रमिक (आंतरिक परीक्षक एवं बाह्य परीक्षक)	-	500/-
7.	प्रोजेक्ट/फील्ड वर्क/लघु शोध प्रबंध (डेजरटेशन) का मूल्यांकन	-	वि.वि. के नियमानुसार
9.	अनुचित साधन प्रकरण (प्रति प्रकरण)	-	100/-

(3) पुनर्गणना – स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर (प्रति उत्तरपुस्तिका) - 10/-

(4) पुनर्मूल्यांकन – स्नातक

1.	मूल्यांकन प्रति उ.पु.	-	40/-(न्यूनतम 100/-)
2.	न्यूनतम पारिश्रमिक	-	50/-
3.	पुनर्मूल्यांकन हेतु बनाए गए स्थानीय समन्वयक (प्रति समन्वयक) जहाँ पर मूल्यांकन होगा।	-	2000/-

(5) अन्य खर्च

1.	विभागीय अध्ययन मण्डल की बैठक हेतु जलपान पर अधिकतम (वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) (अधिकतम 1500/–)	-	1000/-
2.	विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा पाठ्यक्रम टायपिंग,सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी करने हेतु वास्तविक खर्च (वाउचर संलग्न करें) अधिकतम	-	500/-
3.	स्वशासी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित विभिन्न समितियों की बैठक हेतु वास्तविक जलपान व्यय देय होगा (वाउचर संलग्न करने पर)	-	1000/-
4.	स्वशासी प्रकोष्ठ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चाय खर्च प्रति मांह	-	1500/-
5.	आमंत्रित व्याख्यान हेतु प्राचार्य से पूर्व अनुमति पत्र के साथ प्रति विभाग	-	5000/-(प्रतिवर्ष)
6.	प्रश्नपत्र में आवश्यक मॉडरेशन की स्थिति में प्रति प्रश्नपत्र मानदेय (स्नातक स्तर)	-	400/-
	(स्नातकोत्तर स्तर)	-	500/-

(8) परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक

प्रायोगिक परीक्षा

स्नातक स्तर–

प्रयोगशाला तकनीशियन	–	रू. 6/– प्रति छात्र	(समान रूप से वितरित)
प्रयोगशाला परिचारक	–	रू. 4/– प्रति छात्र	(समान रूप से वितरित)

स्नातकोत्तर स्तर –

प्रयोगशाला तकनीशियन	–	रू. 6/– प्रति छात्र अथवा न्यूनतम 100/–	(समान रूप से वितरित)
प्रयोगशाला परिचारक	–	रू. 4/– प्रति छात्र अथवा न्यूनतम 75/–	(समान रूप से वितरित)

सैद्धांतिक परीक्षा

सैद्धांतिक परीक्षा दिवसों में –

परीक्षा कार्य में संलग्न तृतीय श्रेणी के कर्मचारी	–	रू. 6/–	प्रति छात्र (कुल छात्र संख्या पर समान रूप से वितरित)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	रू. 4/–	प्रति छात्र (कुल छात्र संख्या पर समान रूप से वितरित)

(उक्त कर्मचारियों के भुगतान बिल बनने के पश्चात उसकी जांच स्वशासी प्रकोष्ठ से होने के उपरांत ही कार्यालय में भुगतान के लिए प्रेषित किया जाए।)

(9) अनुचित साधन प्रकरण /ग्रीवेंस समिति तथा परीक्षा–परिणाम समिति मानदेय

महाविद्यालय परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले विद्यार्थियों के प्रकरणों का निर्धारण प्राचार्य द्वारा नियुक्त कमेटी किया जाता है। उक्त कार्य का निष्पादन करने वाले नियंत्रक ,संयोजक एवं सदस्यों को निम्न अनुसार मानदेय दिया जायेगा। यह मानदेय उस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को भी दिया जायेगा। जिसका गठन किसी विद्यार्थी द्वारा प्रथम समिति द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राचार्य के सम्मुख प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तब गठित की जायेगी। इसे अपील समिति कहा जायेगा।

सदस्य (तीन) – 500/– प्रति शैक्षणिक सत्र/प्रति सदस्य

उपयुक्त मानदेय संपूर्ण प्रकरणों के निर्धारण के लिए वर्ष में एक बार देय है।

(10) यात्रा एवं दैनिक भत्ता अथवा वाहन भत्ता

प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षक, अध्ययन मंडल के बाह्य सदस्य अथवा विशेषज्ञ महाविद्यालयीन समिति की बैठक में आमंत्रित बाह्य व्यक्ति आदि को यात्रा एवं दैनिक भत्ते की पात्रता रहेगी।

- मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन/प्रकोष्ठ के अन्य आवश्यक कार्यवश 24 घंटे से अधिक समय के प्रवास के लिए निम्नानुसार भत्ते देय होंगे–

अ.	दैनिक भत्ता	–	500 रू. प्रति अधिकारी 300 रू. प्रति कर्मचारी
ब.	लॉजिंग बोर्डिंग दैनिक व्यय	–	1500 रू. प्रति अधिकारी 1000 रू. प्रति कर्मचारी
स.	यात्रा भत्ता	–	ट्रेन/ बस का वास्तविक किराया अथवा वाहन भाड़े का वास्तविक व्यय

- मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन/प्रकोष्ठ के अन्य आवश्यक कार्यवष 24 घंटे से कम समय के प्रवास की स्थिति में निम्नानुसार भत्ते देय होंगे–

अ.	दैनिक भत्ता	–	300 रू. प्रति अधिकारी 150 रू. प्रति कर्मचारी
ब.	यात्रा भत्ता	–	ट्रेन/ बस का वास्तविक किराया अथवा वाहन भाड़े का वास्तविक व्यय/ स्वयं के मोटर साइकिल का उपयोग करने पर 4/- प्रति कि.मी.

- स्थायीय मूल्यांकनकर्ताओं को उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण/संग्रहण अथवा परीक्षा सम्बंधी अन्य कार्य हेतु निम्नानुसार भत्ते देय होंगे –

अ.	दैनिक भत्ता	–	100 रू. प्रति कर्मचारी
ब.	यात्रा भत्ता	–	आटोरिक्शा का वास्तविक किराया अथवा स्वयं के मोटर साइकिल का उपयोग करने पर 4/- प्रति कि.मी.

- परीक्षा सम्बंधी अथवा स्वशासी प्रकोष्ठ सम्बंधी अन्य कार्य से महाविद्यालय में दुर्ग-भिलाई निगम क्षेत्र से महाविद्यालय में आने वाले आगंतुकों को 300/- स्थानीय यात्रा भत्ता देय होगा।

1. आवश्यकतानुसार रविवार तथा शासकीय अवकाश के दिन कार्य करने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निम्नानुसार अतिरिक्त कार्य भत्ता देय होगा –

अ.	अधिकारी	–	500/- प्रति दिवस

ब.	कर्मचारी	–	
	• नियमित कर्मचारी	–	350 रू. प्रति दिवस
	• निश्चित वेतन पर नियुक्त कर्मचारी	–	350 रू. प्रति दिवस
	• दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी	–	कलेक्टर दर के अनुसार एक दिन के वेतन के समतुल्य

- स्नातकोत्तर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक को 600 कि.मी. तक की कुल दूरी (अप–एण्ड–डाउन) के लिए स्वयं के वाहन से 10/– प्रति कि.मी. की दर से यात्रा–भत्ता विशेष स्थिति में प्राचार्य से विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्वानुमति लिए जाने पर देय होगा। सामान्यतः 300 कि.मी. से अधिक की दूरी (अप–एण्ड–डाउन) होने पर द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित/तृतीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया अथवा बस का वास्तविक किराया देय होगा। प्रत्येक स्थिति में स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर प्राचार्य से पूर्वानुमति लेना तथा वाहन के आर.सी. बुक की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(11) वित्त उपलब्धता / शुल्क विवरण

इस महाविद्यालय को परीक्षा नियोजन एवं संचालन के लिये राज्य शासन यू.जी.सी. अथवा स्थानीय विश्वविद्यालय से कोई अनुदान नहीं मिलता है । राज्य शासन प्रत्येक स्वशासी महाविद्यालय को वित्त के वैकल्पिक स्त्रोत खोजने एवं आर्थिक रुप में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रहा है । वर्तमान स्थिति में परीक्षा संबंधित प्रत्येक कार्य और कार्यालय से संबंधित प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए दिये जाने वाले मानदेय और पारिश्रमिक के समस्त खर्च की व्यवस्था केवल विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क से की जा रही है । शुल्क का विवरण निम्नानुसार होगा –

1. स्वशासी पंजीयन शुल्क – स्वशासी पंजीयन शुल्क स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रवेश के समय एक बार देय (द्वितीय व तृतीय स्नातक/स्नातकोत्तर के वे छात्र जो अन्य महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय से आये है उन्हें भी देय होगा) ।

2. प्रोसेसिंग शुल्क :– प्रोसेसिंग शुल्क से प्राप्त राशि का वितरण विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा।

3. परीक्षा शुल्क – अ) स्नातक स्तर :-

कक्षा	नियमित /भूतपूर्व परीक्षा शुल्क	पूरक परीक्षा शुल्क
बी.कॉम. भाग–I	1000/-	600/-
बी.एससी. भाग–I	1000/-	600/-
बी.ए. भाग–I	1000/-	600/-
बी.कॉम. भाग–II	1000/-	600/-
बी.एससी. भाग–II	1000/-	600/-
बी.ए. भाग–II	1000/-	600/-
बी.कॉम.–III	1000/-	600/-
बी.एससी.–III	1000/-	600/-
बी.ए.–III	1000/-	600/-
बी.सी.ए.–I,II,III	1300/-	600/- (एक विषय) 800/- (दो विषय)
बी.लिब.	1000/-	

टीप – 1) पर्यावरण, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा बीसीए के ब्रिज कोर्स जैसे अतिरिक्त विषयों में 200/- रु. प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क देय होगा ।

2) परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रत्येक 15 दिन (पाक्षिक) के लिए 200/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

ब) स्नातकोत्तर स्तर :-

कक्षा	परीक्षा शुल्क
एम.ए. / एम.एससी. / एम.कॉम. /एम.लिब. / पी.जी.डी.सी.ए. प्रति सेमेस्टर (नियमित एवं भूतपूर्व)	1000/-
ए.टी.के.टी. (ATKT) एक प्रश्नपत्र/एक से अधिक प्रश्नपत्र	600/- / 900/-
लघु शोध प्रबंध	400/- अतिरिक्त
टीप- 1. जिन विषयों में लघुशोध प्रबंध एक/दो प्रश्न पत्रों के बदले में है, उन परीक्षार्थियों को ही लघुशोध प्रबंध का शुल्क देय होगा। 2. परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा परीक्षा आवेदन ऑन लाइन किया जाएगा।	

सर्टिफिकेट कोर्स महाविद्यालय में स्वशासी वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रांरभ प्रमाण–पत्र (Certificate Courses) के लिए निम्नलिखित शर्ते होगी।

1. प्रमाण–पत्र (Certificate Courses) के लिए शुल्क का निर्णय विभाग स्तर पर किया जावेगा।
2. कुल प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत कोर्स समन्वयक Course Coordinator को मानदेय के रुप में देय होगा।
3. 20 प्रतिशत राशि किताबों, कोर्स कंटेन्ट डेव्हलपमेंट, पत्रिकाओं पर व्यय किया जावेगा।
4. 10 प्रतिशत राशि आडिट, कार्यालयीन व्यय तथा कार्यालय मानदेय पर व्यय किया जावेगा।
5. 50 प्रतिशत राशि अतिथि शिक्षक/विशेषज्ञ मानदेय एवं व्याख्यान पर व्यय किया जावेगा।
6. कोर्स समन्वयक को यदि मानदेय दिया जाता है तो वह व्याख्यान मानदेय का 30 प्रतिशत से अधिक नही प्राप्त कर सकेगे।
7. शेष राशि आगामी वर्षो के लिए आवर्ती जमा के रुप में खाते में जमा रहेगी।
8. सर्टिफिकेट कोर्स पर महाविद्यालय के अन्य मदो से कोई राशि प्रदान नहीं की जावेगी विशेष परिस्थिति में ही अन्य मदो से राशि देय का प्रावधान किया जावेगा।
9. बिल–बाउचर निर्धारित प्रारुप में ही स्वीकार योग्य होंगे।
10. सभी व्यय छ.ग. शासन क्रम एवं भुगतान नियम के अनुरुप में कर्ज एवं व्यय मान्य होंगे।
11. सभी व्ययों की पूर्वानुमति प्राचार्य/ आहरण संवितरण अधिकारी में प्राप्त करनी होगी।
12. कोर्स संचालन का पूर्ण दायित्व कोर्स समन्वयक/विभागाध्यक्ष का होगा।
13. परीक्षा के लिए स्वशासी प्रकोष्ठ द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क पृथक में देय होगा।
14. परीक्षा संबंधी समस्त भुगतान स्वशासी परीक्षा नियमानुसार स्वशासी मद से देय होगा।

परीक्षा संबंधी समस्त बिल वाउचर परीक्षा विभाग में दिए जायेंगे तथा कोर्स संचालन के बिल/बाउचर लेखा विभाग महाविद्यालय कार्यालय में देय होंगे।

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सर्टिफिकेट / कोर्स समन्वयक का मानदेय

वर्ष...

क्रं.	विभाग का नाम	सर्टिफिकेट कोर्स का टाइटल	समन्वयक का नाम	मनदेय रूपये में	हस्ताक्षर

प्राचार्य द्वारा प्रमाणन
हस्ताक्षर

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

बुक्स, स्टेशनरी, अध्ययन सामग्री आदि का लेखा सत्र ....

क्र.	विभाग का नाम	सर्टिफिकेट कोर्स का नाम	क्रय की गयी सामग्री का विवरण	कुल मात्रा	राशि से प्रति सामग्री	कुल राशि

विभागाध्यक्ष/समन्वयक के अध्यक्ष
नाम...

नोट–1. सामग्री का क्रम छ.ग. क्रय नियम के अनुसार ही मान्य होगा।

2. सामग्री क्रय का बिल/बाऊचर मूल बिल प्रिंटेट बिल (जी.एम.वी. नम्बर) ही मान्य होगा।

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

शिक्षक का मानदेय सत्र ....

क्र	विभाग का नाम	सर्टिफिकेट कोर्स का नाम	शिक्षक का नाम एवं संस्था का नाम एवं पता मो. नं सहित	ली गयी कक्षाएँ एवं अवधि	प्रति कक्षा मानदेय	कुल मानदेय

समन्वयक /विभागाध्यक्ष
हस्ताक्षर

नोट–1. सम्बंधित कक्षाएँ विषय विषेयक द्वारा ही ली जावेगी।
2. कोर्स मद में राशि होने पर ही भुगतान किया जावेगा।

महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार राशि आबंटित की जा सकती है :

• Placement Cell	50,000/- (प्रतिवर्ष)
• IQAC	50,000/- (प्रतिवर्ष)
• Eco Club	10,000/- (प्रतिवर्ष)
• Science Club	25000/- (प्रतिवर्ष)
• Literary Association	15000/- (प्रतिवर्ष)
• Photography Club	15,000/- (प्रतिवर्ष)
• Women's Cell	15,000/- (प्रतिवर्ष)
• Equal Approtunity Cell	10,000/- (प्रतिवर्ष)
• Capacity Building for teaching & office staff	20,000/- (प्रतिवर्ष)
• For teachers & Scalars who present paper in international conferences	Registrations fees paid by college
• State level workshop on Exam. Reforms & other related issues	90,000/- (प्रतिवर्ष)
• Meeting with eminent scientists, literati's artist etc.	50,000/- (प्रतिवर्ष)
• Sickle cell Anemia Awareness Programmed at nearby village	10,000/- (प्रतिवर्ष)
• Yoga & Meditation club by Dr. Deshmukh	3,000/- (प्रतिवर्ष)
• School Teachers/Student practical training Classes	16,000/- (प्रतिवर्ष)
• Study Four for only those deptt.s in which study tour /excussion is compulsory in their curriculum	30,000/- (Each Dept.)
• Workshop on receipt Instrumental Techniques for PG students	25,000/- (प्रतिवर्ष)
• Workshop on Remote Sensing & GIS	20,000/- (प्रतिवर्ष)
• Food preservative training course (Chem. Dept.)	10,000/- (प्रतिवर्ष)

Student Support & Incentives

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देष का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र–छात्राओं को 10,000/– रू. (दस हजार रुपये मात्र) प्रदाय किया जाए। जो निम्नलिखित विद्यार्थी में खेल, शोध, साहित्यिक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

- जो छात्र/छात्राएँ स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.लिब. एण्ड आई.एससी, बी.एससी. जीवविज्ञान, बी.एससी.गणित – प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पी.जी.डी.सी.ए., एम.लिब. एण्ड आई.एससी. एवं प्रत्येक विषय में अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे, उन छात्र/छात्राओं की परीक्षा फीस माफ कर दी जाएगी।

- विकलांग/दिव्यांग विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क माफ रहेगी।

- अनाथ छात्र/छात्राओं (माता, पिता दोनो की न होने की स्थिति में) की परीक्षा शुल्क माफ रहेगी।

- ऐसे विद्यार्थी जिनके माता या पिता की मृत्यु करोना संक्रमण से हुई है, उनकी परीक्षा शुल्क 100% माफ रहेगी। (मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर)

अन्य शुल्क

1. परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रत्येक 15 दिन (पाक्षिक) के लिए 200/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

2.	प्रवेश पत्र (द्वितीय प्रति)	-	30/-
3.	पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र	-	10/-
4.	पुनर्गणना (एक विषय)	-	50/-
	(सभी विषय)	-	300/-
5.	पुनर्मूल्यांकन (प्रति प्रश्न पत्र) (अधिकतम दो प्रश्नपत्र)	-	200/-
6.	पुनःपुनर्मूल्यांकन के पूर्व उ.पु.की छायाप्रति प्राप्त करने का शुल्क (प्रति प्रश्नपत्र)	-	200/-
7.	अंकसूची की द्वितीय प्रति (इसे प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय में लिखित सूचना, F.I.R. कॉपी एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)	-	100/-
8.	अंकसूची में सुधार हेतु शुल्क प्रति अंकसूची (परिणाम घोषित होने के एक माह के पश्चात)	-	100/-
9.	अस्थायी अंकसूची प्राप्त करने हेतु	-	50/-
10.	अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु	-	100/-
11.	परीक्षार्थी के नाम में परिवर्तन हेतु शुल्क (संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत)	-	200/-
12.	अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु न्यूनतम शुल्क (मेरिट सर्टिफिकेट छोड़कर) (प्रति प्रमाण पत्र)	-	100/-

13. ऐसे छात्र जो घोषित प्रायोगिक परीक्षा के निर्धारित बैच में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाये एवं उसी कक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के साथ परीक्षा में शामिल होने के अनुमति चाहते हैं ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरणों के संदर्भ में अवलोकन के पश्चात् प्राचार्य स्वविवेक से निर्णय लेगें। ऐसे छात्रों का परीक्षा शुल्क रू. 1000/– देय होगा।

टीप – पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने पर उत्तरपुस्तिका में अंकों से संबंधित लिपिकीय त्रुटि, तकनीकि त्रुटि अथवा मूल्यांकनकर्ता द्वारा अंकों को भरने में त्रुटि होने की स्थिति में आवेदक शुल्क वापसी की पात्रता होगी।

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

स्वशासी मद : आय व्यय विवरण सत्र 2021-22

क्र.	आय	राशि	व्यय	राशि
(अ)	परीक्षा शुल्क :-		1. लेबर चार्ज	5,11,620.00
	1. स्नातक प्रथम वर्ष	2206 x 1000	2. मानदेय	3,63,513.00
		=22,06,000.00	3. रेमूनेशन चार्ज	23,99,684.00
			4. स्टेशनरी	95,293.00
	2. स्नातक द्वितीय वर्ष	1929 x 1000	5. प्रिंटिंग	47,306.00
		=19,29,000.00	6. प्रिंटिंग मेंटेनंस	53,051.00
			7. कम्प्यूटर एवं	
	3. स्नातक तृतीय वर्ष	1985 x 1000	कम्प्यूटर मेंटेनंस	69,070.00
		=19,85,000.00	8. टेलिफोन	17,467.00
			9. प्रश्न पत्र मुद्रण चार्ज	5,40,055.00
	4. स्नातकोत्तर		10. रिफ्रेशमेन्ट	41,612.00
	I सेमेस्टर	759 x 1000	11. यात्रा देयक	2,70,617.00
	III सेमेस्टर	518 x 1000	12. रेफ्रिजरेशन	4,500.00
		=12,77,000.00	13. पोस्टेज	2,489.00
			14. टी.डी.एस. चार्ज	32,543.00
	5. स्नातकोत्तर		15. आडिट फीस	36,990.00
	II सेमेस्टर	743 x 1000	16. मार्कशीट प्रिंटिंग	4,86,632.00
	IV सेमेस्टर	514 x 1000	17. साफटवेयर मेंटेनंस	1,16,749.00
		=12,57,000.00	18. सी.सी.टी.वी. कैमरा	18,600.00
(ब)	6. चुतर्थ सेमेस्टर	66 x 400 =26,400.00	19. स्टूडेंट फीस रिफंड	12,000.00
	लघुशोध प्रबंध		20. विविध खर्च	50,068.00
	7. ए.टी.के.टी	निरंक	21. नैक रजिस्ट्रेशन	7,500.00
			22. रुम रिपेरिंग (रेनोवेशन)	1,87,451.00
	1. पुर्नमूल्यांकन	निरंक		
	2. पुनगर्णना	निरंक		
(स)	पंजीयन शुल्क :-			
	1. स्नातक प्रथम वर्ष	2206 x 100		
	एक बार देय	=2,20,600.00		
	कुल	89,01,000.00		
	अन्य शुल्क	13,82,591.00		
	महायोग	**1,02,83,591.00**	महायोग	**53,64,810.00**

शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

स्वशासी मद प्रस्तावित आय तथा व्यय विवरण सत्र 2022–23

आय (मद)	राशि (रुपये)	व्यय	राशि (रुपये)
छात्र / छात्राओ से प्राप्त फीस राशि ऑफलाइन	891430	1. सैद्धांतिक परीक्षा हेतु परीक्षकों का पारिश्रमिक	20,00,000.00
		2. सत्रीय कार्य हेतु परीक्षकों का पारिश्रमिक	3,00,000.00
		3. अधिकारियों (स्वशासी प्रकोष्ठ) का मानदेय	3,00,000.00
छात्र / छात्राओ से प्राप्त फीस राशि ऑनलाइन	9392161	4. कर्मचारियों का मानदेय	2,40,000.00
		5. परीक्षा संचालन व्यय	4,00,000.00
		6. प्रायोगिक परीक्षकों का मानदेय एवं यात्रा व्यय	3,00,000.00
		7. दूरभाष व्यय	25,000.00
		8. स्टेशनरी व्यय	3,00,000.00
		9. प्रिंटिंग व्यय	8,00,000.00
		10. पोस्टेज व्यय	1,00,000.00
		11. दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की सैलरी	5,00,000.00
		12. उत्तरपुस्तिका प्रिंटिंग	10,00,000.00
		13. आवश्यक उपकरण	3,00,000.00
		14. अन्य व्यय	3,00,000.00
		15. अंकसूची मुद्रण	4,00,000.00
		16. पुर्नमूल्यांकन एवं पुनगर्णना	2,00,000.00
		17. कुर्सी 250	11,00,000.00
		18. ए.सी. 11	6,50,000.00
		19. कूलर 02	40,000.00
		20. कॉम्पैक्टर 01	1,50,000.00
		21. रैक (स्टील) 24	1,20,000.00
		22. स्टील कुर्सी 04	60,000.00
		23. प्लास्टिक टेबल 02	5,000.00
		24. चैनल गेट 04	1,50,000.00
		25. स्वशासी प्रकोष्ठ साज–सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री हेतु	2,00,000.00
		26. प्रोजेक्टर एवं स्क्रीन 02 सेट	2,00,000.00
		27. सोलर पैनल 10 KW	6,50,000.00
		28. ऑडियो सिस्टम (हॉल एवं मीटिंग हॉल के लिए)	2,00,000.00
		29. पोडियम 02	10,000.00
		30. कॉरिडॉर में पंखे 04	8,000.00
कुल योग	1,02,83,591.00	कुल योग	1,10,08,000.00

स्वशासी प्रकोष्ठ के FDR की जानकारी				
सत्र	प्राप्त आय	व्यय	**Opening Bank Balance**	**Closing Bank Balance**
2016-17	7041935.06	10288919.44	**10881883.00**	**4975610.56**
			FDR 3216100	FDR 6009388
2017-18	7848605.56	5534029.85	**4975610.56**	**4634185.71**
				FDR 2500000
2018-19	9396196.71	9874223.8	**4634185.71**	**4594510.91**
			FDR 10061568	FDR 9542215
2019-20	9584601.91	9037223.89	**4594510.91**	**4729731.02**
			FDR 6689394	FDR 7087551
2020-21	926042.02	4240701.72	**4729731.02**	**9328770.30**
			FDR 8004691	FDR 5428667

नियमावली आलेख की वैधानिक स्थिति

यू.जी.सी. की स्वशासी योजना के अंतर्गत निर्देशावली के अनुसार महाविद्यालय के स्वशासी प्रकोष्ठ की समिति की दिनांक 07.06.2022 को संपन्न हुई बैठक में सर्वानुमति से स्वीकृत एवं पारित ।

सदस्य, वित्त समिति –

1. डॉ. एम.ए. सिद्दीकी
2. डॉ. राजेन्द्र चौबे
3. डॉ. ओ. पी. गुप्ता
4. डॉ. अनुपमा अस्थाना
5. डॉ. ए.के. खान
6. श्री आशुतोष साव
7. श्री सुशील गजभिये

डॉ. अनिल कुमार कश्यप
(नियंत्रक)
स्वशासी परीक्षा

डॉ. आर.एन. सिंह
(प्राचार्य)
शा. वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)

वित्त समिति के निर्णय का अनुमोदन

वित्त समिति द्वारा दिनांक ..05.8.21.......... को लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया जाता है।

सदस्य शासी निकाय, शा. वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

1. [signature]
2. [signature]
3. [signature]
4. [signature]
5. [signature]
6. [signature]
7. [signature]
8. [signature]
9. [signature]
10. [signature]
11. [signature]
12. [signature]
13. [signature]

[signature]